

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 430]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2011—आश्विन 1, शक 1933

#### श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर, 2011

क्र. एफ-1(ए)-8-2011-ए-सोलह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश श्रम सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची—एक तथा अनुसूची—दो के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियाँ स्थापित की जाए, अर्थात्:—

#### अनुसूची—एक (नियम 5 देखिए)

सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (1)	पदों की संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतनमान (4)
(क) कर्तव्य पद	(क) श्रम		
1. श्रम आयुक्त			
2. अपर श्रमायुक्त	02	प्रथम श्रेणी	पी.बी.-4 : रुपये 37,400—67000+8700
3. उप श्रमायुक्त	06	प्रथम श्रेणी	पी.बी.-3 : रुपये 15600—39100+7600
4. सहायक श्रम आयुक्त	11	प्रथम श्रेणी	पी.बी.-3 : रुपये 15600—39100+6600
5. श्रम पदाधिकारी ( श्रम अधिकारी- मुख्य निरीक्षक, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम)	48	द्वितीय श्रेणी	पी.बी.-3 : रुपये 15600—39100+5400

(1)	(2)	(3)	(4)
6. सर्वे अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	पी.बी.-3 : रुपये 15600—39100+5400
7. विधि अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	पी.बी.-3 : रुपये 15600—39100+5400
8. लेखा अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	पी.बी.-3 : रुपये 15600—39100+5400
<b>(ख) औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा</b>			
1. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	01	प्रथम श्रेणी	पी.बी.-4 : रुपये 37400—67000+8700
2. संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	03	प्रथम श्रेणी	पी.बी.-3 : रुपये 15600—39100+6600
3. उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा.	10	प्रथम श्रेणी	पी.बी.-3 : रुपये 15600—39100+6600
4. सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	25	द्वितीय श्रेणी	पी.बी.-3 : रुपये 15600—39100+5400
5. सहायक संचालक, (चिकित्सा).	01	द्वितीय श्रेणी	पी.बी.-3 : रुपये 15600—39100+5400

**अनुसूची—दो**  
(नियम 6 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता सीधी भर्ती द्वारा [[नियम-6 क] के पदोन्नति द्वारा [[नियम-6 (ख)]]	अन्य सेवा के व्यक्तियों के अस्थाई स्थानांतरण द्वारा [[नियम-6 ग]]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
श्रम विभाग.	1. श्रम आयुक्त			भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी.
	2. अपर, श्रम आयुक्त	02	—	100 प्रतिशत
	3. उप श्रम आयुक्त	06	—	100 प्रतिशत
	4. सहायक श्रम आयुक्त	11	—	100 प्रतिशत
	5. श्रम अधिकारी (मुख्य निरीक्षक, मोटर परिवहन कर्मकार).	48	33 प्रतिशत मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा	67 प्रतिशत
	6. सर्वे अधिकारी	01	यदि कनिष्ठ एनॉलिस्ट के पद धारण करने वाले व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो तब 100 प्रतिशत चयन सीधी भर्ती द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जा सकेगा.	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा भी भरे जा सकेंगे.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. विधि अधिकारी		01		100 प्रतिशत	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा.
8. लेखा अधिकारी		01			संचालनालय, कोष एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति द्वारा.

(ख) औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		अन्य सेवा के व्यक्तियों के अस्थाई स्थानांतरण द्वारा [नियम-6 (ग)]
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम-6 (क)]	सेवा के सदस्यों के पदोन्नति द्वारा [नियम-6 (ख)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा		01		100 प्रतिशत	
2. संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा		03		100 प्रतिशत	
3. उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा		10		100 प्रतिशत	
4. सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा		25	100 प्रतिशत, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से चयन द्वारा.		
5. सहायक संचालक, (चिकित्सा)		01	100 प्रतिशत, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयन द्वारा.		लोक स्वास्थ्य विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा भी भरे जा सकते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जी. पी. कबीरपंथी, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्र. एफ 1(ए)-08-2011-ए-सोलह.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (ए)-08-2011-ए-सोलह, दिनांक 23 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जी. पी. कबीरपंथी, अपर सचिव.

Bhopal, the 23rd September 2011

No. F-1(A)-8-2011-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Labour Service (Gazetted) Recruitment Rules, 1985, namely:—

## AMENDMENT

In the said rules, for schedule-I, and Schedule-II, the following Schedules shall be substituted, namely:—

## SCHEDULE—I

(See rule-5)

Name of posts included in the Service (1)	No. of posts (2)	Classification (3)	Pay scale (4)
<b>(a) Duty Post</b>		<b>(a) Labour</b>	
1. Labour Commissioner			
2. Additional Labour Commissioner	02	Class I	PB-4:- Rs. 37400—67000+ Rs. 8700
3. Deputy Labour Commissioner	06	Class I	PB-3:- Rs. 15600—39100+ Rs. 7600
4. Assistant Labour Commissioner	11	Class I	PB-3:- Rs. 15600—39100+ Rs. 6600
5. Labour Officer (Labour Officer-Chief Inspector- Motor Transport Workers Act)	48	Class II	PB-3:- Rs. 15600—39100+ Rs. 5400
6. Survey Officer	1	Class II	PB-3:- Rs. 15600—39100+ Rs. 5400
7. Law Officer	1	Class II	PB-3:- Rs. 15600—39100+ Rs. 5400
8. Accounts Officer	1	Class II	PB-3:- Rs. 15600—39100+ Rs. 5400
<b>(b) Industrial Health &amp; Safety</b>			
1. Director, Industrial Health & Safety	1	Class I	PB-4:- Rs. 37400—67000+ Rs. 8700
2. Joint Director, Industrial Health & Safety	3	Class I	PB-3:- Rs. 15600—39100+ Rs. 7600
3. Deputy Director, Industrial Health & Safety	10	Class I	PB-3:- Rs. 15600—39100+ Rs. 6600
4. Assistant Director, Industrial Health & Safety	25	Class II	PB-3:- Rs. 15600—39100+ Rs. 5400
5. Assistant Director, (Medical)	1	Class II	PB-3:- Rs. 15600—39100+ Rs. 5400

**SCHEDULE—II**  
(see rule-6)

Name of the Department	Name of the Service	No. of total posts	Percentage of posts to be filled		By temporary transfer of persons from other Service {rule 6(c)} (6)
			By direct recruitment {rule 6(a)} (4)	By promotion of the members of the Service {rule 6 (b)} (5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Labour Department	1. Labour Commissioner	01			Indian Administrative Service Officer
	2. Additional Labour Commissioner	02	—	100%	—
	3. Deputy Labour Commissioner	06	—	100%	—
	4. Assistant Labour Commissioner	11	—	100%	—
	5. Labour Officer (Chief Inspector, Motor Transport Workers)	48	33% by competitive examination conducted by the Madhya Pradesh Public Service Commission	67%	—
	6. Survery Officer	1	If person holding the post of junior analyst are not available for promotion then 100% selection may be made by direct recruitment through Madhya Pradesh Public Service Commission.	—	May also by filled by deputation from the economic and statistics department.
	7. Law Officer	1		100%	by promotion or deputation
	8. Accounts Officer	1			by deputation from the Directorate of Treasury Accounts and Pension.

**(b) Director of Industrial Health & Safety**

Name of the Department	Name of the Service	No. of total posts	Percentage of posts to be filled		By temporary transfer of persons from other Service {rule 6(c)} (6)
			By direct recruitment {rule 6(a)} (4)	By promotion of the members of the Service {rule 6 (b)} (5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1. Director, Industrial Health & Safety	1		100%	
	2. Joint Director, Industrial Health & Safety.	3		100%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3. Deputy Director, Industrial Health & Safety.	10		100%	
	4. Assistant Director, Industrial Health & Safety.	25	100% by direct recruitment by selection through Madhya Pradesh Public Service Commission.		
	5. Assistant Director, (Medical)	1	100% by direct recruitment by selection through Madhya Pradesh Public Service Commission.		May also be filled by deputation from the Public Health Department.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
G. P. KABIRPANTHI, Addl. Secy.